न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
जमानत प्रार्थनापत्र सं0: 580/2026
सी0एन0आर0नं0– यू0पी0जे0पी0 010042182026

नन्हकू पुत्र हुबईराम। सा0मौ0–शादीपुर, थाना–जलालपुर, जिला जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–213/2026
धारा–105, 351(3) भा0न्या0सं0
थाना–जलालपुर, जिला जौनपुर।

04.06.2026

आवेदक/अभियुक्त नन्हकू द्वारा मु0अ0सं0–213/2026, धारा–105, 351(3) भा0न्या0सं0, थाना–जलालपुर, जिला जौनपुर के मुकदमें में जमानत प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादिनी मुकदमा बेला देवी के द्वारा एक तहरीर थाना जलालपुर पर इस आशय के साथ प्रस्तुत की गयी है कि दिनांक 14.05.2026 की रात्रि 10.00 बजे उसके लड़के रंजीत को उसके पड़ोसी का लड़का नन्हकू शादी में ले जाने के बहाने घर से ले जाकर रास्ते में लोहे के राड से मारकर अधमरा कर दिया। जब उसे जानकारी हुई तो धमकी दिया कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके दूसरे लड़के की भी हत्या कर देगा और उसके दामाद को भी मारने की धमकी दिया। वह लोग डर वस ट्रामा सेण्टर वाराणसी में इलाज करा रहे थे जहां उसका लड़का इलाज के दौरान सुबह उसकी मृत्यु हो गयी। पोस्टमार्टम होने के बाद शव को जब घर पर लेकर आये तो उसके सब्र का बांध टूट गया। इसीलिये आवेदन दे रही है। उक्त आधार पर मामला पंजीकृत कराया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध अथवा मृत्यु कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित करायी गयी है और उसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। मृतक रंजीत उसके सगे खानदान का लड़का था। आवेदक से 15 वर्ष छोटा था। खानदान में किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं थी। रंजीत को मारने की बात बिल्कुल झूठ व असत्य है। मृतक रंजीत दूल्हेपुर गांव में किसी की शादी में गया था। लौटते समय रास्ते में रंजीत की किसी से मार पीट हो गयी थी जिससे उसके सिर में चोट आयी उसके साथ के लोगों ने इलाज हेतु कचगांव बाजार में डा0 इजहारूल के यहां दवा इलाज कराया और घर लेकर आये। घर पर रंजीत ठीक था। बात चीत कर रहा था। बाद में उसकी तबीयत खराब हुई वह बेहोश हो गया। आवेदक व उसके परिवार के लोग उसे लेकर बी0एच0यू0 गये। रंजीत का इलाज बी0एच0यू0 में चल रहा था कि दिनांक 18.05.2026 को सुबह करीब 9.30 बजे उसकी मृत्यु हो गयी। लंका पुलिस ने रंजीत के शव को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा कराया। पंचनामा कराया। पंचनामा पर आवेदक, राजन गौतम, शेषनाथ, अजीत मृतक का भाई व रंजीत का मामा विरेन्द्र के हस्ताक्षर कराये गये। आवेदक को रंजिशन गलत व फर्जी तरीके से गलतफहमी व आशंका वश प्रस्तुत प्रकरण में संलिप्त किया गया है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 20.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथित अपराध हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध जैसे गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 14.05.2026 रात्रि 10.00 बजे की कही जाती है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.05.2026 को समय 8.00 बजे शाम को दर्ज करायी गयी है। कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। वादिनी मुकदमा के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई मोटिव दर्शित नहीं किया गया है। केस डायरी के पर्चा सं0 4 में गवाह अजीत कुमार जोकि मृतक का छोटा भाई है, द्वारा कथन किया गया है कि–उसके गांव के रहने वाला मनीष ने अपने मोबाईल से उसके मोबाईल पर फोन किया कि उसके भाई को चोट लग गया है, जल्दी आओ तो वह दूल्हेपुर गया। उसे पता चला कि ये लोग उसके भाई को राजेपुर कजगांव रेहान डाक्टर के पास ले गये है। उसका भाई होश हवास में था। घर आने पर पूछने पर रंजीत **(मृतक)** ने बताया कि जब वह और नन्हकू दूल्हेपुर से न्योता देकर अपने घर आ रहे थे वह पीछे बैठा था, नन्हकू बाईक चला रहा था। उस समय रात के करीब 10 बजे थे और चारो तरफ अन्धेरा था, तो रास्ते में नन्हकू को किसी ने हाथ देकर बाईक रोकने का इशारा किया। नन्हकू ने बाईक रोका और नन्हकू ने उसके सिर पर राड से मार दिये तथा **पीछे से किसी ने किसी चीज से उसके सिर पर मार दिया। किस चीज से मारा और कौन मारा वह नहीं देख पाया।** उसके सिर से काफी खून बहने लगा तो **नन्हकू ने उसके सिर पर अपना गमछा बांध दिया।** इसके बाद मनीष और विकास कन्नौजियां न्यौता देने दूल्हेपुर जा रहे थे तो नन्हकू ने मनीष से कहा कि देखो रंजीत के किसी ने पीछे से मार दिया है, काफी खून बह रहा था तो वह गमछे से बांध दिया है। इसके बाद नन्हकू के बाइक से नन्हकू, वह और मनीष तीनों डाक्टर के पास गये।

केस डायरी पर उपलब्ध साक्षी अजीत कुमार के बयान में जहां एक स्थान पर उसने अभियुक्त नन्हकू के द्वारा सिर पर राड से मारना कहा है तथा दूसरे स्थान पर मृतक को किसने और किस चीज से सिर पर मारना कहा है और किसने मारा वह देख नहीं पाने का भी कथन किया है। इन बयानों में अत्यन्त विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इस स्तर पर उसका बयान विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जबकि रात के अंधेरे में एकान्त स्थान पर अभियुक्त के द्वारा मृतक को चोटें पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा मृतक के सिर पर गमछा क्यों बांधा गया और उसे लेकर अस्पताल क्यों ले जाया गया। थाने की प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्त का 2 मामलो का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक 20.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

मामले के तथ्यो और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है, तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त नन्हकू द्वारा मु0अ0सं0–213/2026, धारा–105, 351(3) भा0न्या0सं0, थाना–जलालपुर, जिला जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उसके द्वारा मु0– 1,00,000/–रूपये का स्व बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूति सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि की दाखिल करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

दिनांक 04.06.2026
नितिन कुमार/–

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।